न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –140/2024 वाद

GCMS No.–2024/527

1. चांदीबाई पत्नी नारायण कच्छावा (कांछी) निवासी केली तहसील निम्बाहेडा।

वादिया

बनाम

1. उदयराम पिता नारायण कच्छावा (कांछी) निवासी केली तहसील निम्बाहेडा ।
2. प्रताबीबाई पुत्री नारायण कच्छावा (कांछी) निवासी केली तहसील निम्बाहेडा।
3. फुल्लीबाई पुत्री नारायण कच्छावा निवासी केली तहसील निम्बाहेडा
4. फतेहलाल पिता गोवर्धन कच्छावा निवासी केली तहसील निम्बाहेडा
5. मुकेश पिता गोवर्धन कच्छावा निवासी केली तहसील निम्बाहेडा
6. लक्ष्मीलाल पिता रामेश्वरलाल कच्छावा निवासी केली तहसील निम्बाहेडा
7. राज० सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा

– प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955</u>

उपस्थित :– 1– सरफराज अहमद – अधिवक्ता वादिया

2– इरशाद खान – अधिवक्ता प्रतिवादी नम्बर 1 से 6

<u>::निर्णय::</u> दिनांक :–06.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजियात वाके ग्राम केली पटवार हल्का केली के आराजी नम्बर 674 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 649 मीन रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 651 मीन रकबा 1.0400 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 675 रकबा 0.7300 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 784 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमिस्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात में सजरा अनुसार नारायण जी की मृत्यु दिनांक 21.07.2023 को हो चुकी है जिनके वारिस वा[illegible] तथा पुत्र उदयराम, पुत्री केशी, फुली, प्रतापी हुए जिसमें से केशी पुत्री नारायण [illegible] जी की मृत्यु दिनांक 19.09.2019 हो चुकी है, उसके [illegible] पर भी विरासत का नामान्तरकरण खुल चुका [illegible] जी की मृत्यु दिनांक [illegible] 2023 को हो चुकी है तथा मृत्यु के बाद विरासत [illegible] नामान्तरकरण खुला तो [illegible] रेकार्ड में वादीया का नाम चांदीबाई के स्थान पर नानीबाई दर्ज कर दिया जबकि वादीया नारायण जी की पत्नी है, और आधारकार्ड में भी वादीया का नाम चांदीबाई पत्नी नारायण दर्ज हैं, लेकिन राजस्व रेकार्ड में वादीया को नारायण जी की पुत्री बता दिया और वादीया का नाम भी गलत रूप से नानीबाई दर्ज कर दिया है इसलिये वादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपने सही नाम की घोषणा कराना चाहती है, यानि रेकार्ड में पूर्व में वादीया का नाम गलत रूप से नानीबाई पुत्री नारायण दर्ज हैं, उस नाम को विलोपित फरमाया जाकर वादीया का सही नाम चांदी बाई पत्नी नारायण दर्ज किया जाकर इसी आशय की घोषणात्मक डिक्री सादीर फरमाई जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा नाम की पुष्टी स्वरूप वादीया का आधारकार्ड नं० 4695 6467 4145 की फोटो प्रति पेश कि।

3. वाद पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित खाता सं0 632 एवं खाता सं0 296 की आराजीयात में वादीया का नाम चांदीबाई के स्थान पर गलत नाम नानीबाई दर्ज हो गया एवं पत्नी नारायण जी के स्थान पर पुत्री नारायण कांछी दर्ज हो गया है, उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया के सही नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीया का सही नाम चांदीबाई पत्नी नारायण कच्छावा (कांछी) दर्ज करने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वादी मय अधिवक्ता एंव प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री इरशाद खान ने सहमति जवाबदावा मय अधिकार पत्र के प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पत्रावली में जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली में वादिया के संलग्न दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 ग्राम केली की प्रमाणित प्रति पेश की, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, बैंक आफ बडोदा की पास बुक पेश कि जिसमे वादिया का नाम नानीबाई पुत्री नारायण कांछी के बजाए चांदीबाई पत्नि नारायण कांछी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम केली पटवार हल्का केली की आराजी नम्बर 674 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 649 रकबा 0.2400 ,आराजी नम्बर 651 मीन रकबा 1.04 हैक्टेयेर, आराजी नम्बर 675 रकबा 0.7300 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि में नानीबाई पुत्री नारायण कांछी सा0 देह खातेदार के बजाए [illegible] पत्नी नारायण कांछी सा0 देह खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार [illegible] उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Scanned by CamScanner